प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 11.11.2024

अपराधिक न्यास भंग करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार,

कब्जे से धोखाधडी का माल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष झंगहा के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार गुप्ता मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 808/2024 धारा 318(4)/316(2) भा0न्या0सं0 से संबंधित अभियुक्त राजबहादुर यादव उर्फ राजू यादव को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद माला पीली धातु, 01अदद लाकेट पीली धातु , 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद अंगूठी सफेद धातु व 01 अदद मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) भा0न्या0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.24 को वादिनी मुकदमा को रास्ते में अभियुक्त द्वारा विश्वास में लेकर धोखाधडी कर वादिनी मुकदमा के पहने हुए आभूषण व मोबईल ले कर भाग जाने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजबहादुर यादव उर्फ राजू यादव पुत्र सूचित निवासी परसिया तिवारी थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 808/2024 धारा 318(4)/316(2) भा0न्या0सं0 थाना झंगहा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

02 अदद मोती का माला पीली धातु, 01अदद का लाकेट पीली धातु , 02 जोड़ी पायल सफेद धातु, 01 अदद अंगूठी सफेद धातु व 01 अदद मोबाईल बरामद

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 दीपक कुमार गुप्ता चौकी प्रभारी बरहीं थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. कां0 राजाराम वर्मा थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
3. का0 अर्जुन गुप्ता थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. म0कां0 शशिकिरन सिंह थाना झंगहा जनपद गोरखपुर